


आयालय अपर समाहर्ता-सह-आर्बिट्रेटर, बोकारो ।

भू-अर्जन अपील वाद संख्या-34/2017-18

(भोला नाथ महतो बनाम् NHA1 एवं अन्य)

म सं० दिनांक	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
4-09-2020	<p>प्रस्तुत अपीलवाद सक्षम पदाधिकारी-सह-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो के भू-अर्जनवाद संख्या-10/2011-12, एवार्ड क्रमांक-103 में पारित आदेश के विरुद्ध श्री भोला नाथ महतो, पिता स्व० किंकर महतो ग्राम-डोमाटांड, पोस्ट- चिकिसिया, थाना-चास (गु०) जिला-बोकारो के द्वारा लाया गया है।</p> <p>उक्त वाद मौजा डुमरजोर खाता नं०-94, प्लॉट नं०-787/2, रकवा-0.044 एकड़ से संबंधित है।</p> <p>उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी का कथन है कि मौजा डुमरजोर खाता नं०-94, प्लॉट नं०-787/2, रकवा-0.044 एकड़ भूमि रैयती खतियानी भूमि से खरीदगी भूमि है। उक्त भूमि में से 0.044 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। भू-अर्जन विभाग के द्वारा अर्जित किये गये भूमि का मूल्य कृषि योग्य भूमि के दर पर निर्धारित किया गया है। कुल रकवा- 0.044 एकड़ भूमि का मूल्य 169286.00 (एक लाख उनहत्तर हजार दो सौ छियासी) रुपये को आपत्ति के साथ रैयतों के द्वारा मुआवजा लिया गया है। आवेदक का यह भी कहना है कि इनके प्लॉट के बगल प्लॉट संख्या-779/3 आवेदक के प्लॉट संख्या-787/2 से सटे भूमि का मूल्यांकन 135435.00 रु० प्रति डिसमिल के दर से किया गया है, जबकि आवेदक के भूमि का मूल्यांकन 38475.00 रु० प्रति डिसमिल के हिसाब से किया गया है, जो विरोधाभास एवं उचित नहीं है, जिससे यह स्पष्ट है कि अधिग्रहित की गई भूमि आवासीय /व्यवसायिक योग्य है, परन्तु भू-अर्जन विभाग के द्वारा कृषि योग्य भूमि बताकर भूमि का उचित मूल्यांकन नहीं</p>	



आदेश की क्रम सं०
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

किया गया है, जो गलत है। आवेदक के द्वारा आवासीय / व्यवसायिक भूमि का मूल्य निर्धारित करने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक ने अपने सटे प्लॉट का नक्शा एवं भुगतान किये गये राशि से संबंधित साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया है।

द्वितीय पक्ष NHAI के द्वारा अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह वर्णित किया गया है कि भूमि के मूल्यांकन के साथ-साथ भूमि की श्रेणी और आवेदक को भुगतान की गयी मुआवजा राशि उचित है, इसलिए इनके द्वारा किये जा रहे दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है तथा संबंधित वाद को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस कार्यालय के पत्रांक 2184/रा०, दिनांक 21.08.2020 के द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो से संदर्भित अपीलवाद में जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो का पत्रांक 450(A)/भू०अ०, दिनांक 29.08.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जो अभिलेख में संधारित है। जाँच प्रतिवेदन में वर्णित किया गया है कि मौजा नावाडीह में आवेदित प्लॉट संख्या-० धारा 3A में भूमि का किस्म खेत गजट में दर्ज है। धारा 3A के अनुरूप धारा 3G में भूमि का किस्म कृषि दर्ज किया गया है। NHAI के द्वारा धारा 3A की अधियाचना में भूमि का किस्म खेत प्रस्तुत किया गया था तथा धारा 3A में दर्ज भूमि के किस्म के अनुरूप धारा 3G तैयार करने हेतु NHAI द्वारा पत्र भी उपलब्ध कराया गया था। धारा 3A के प्रकाशन के बाद भूमि के किस्म में परिवर्तन हेतु हितबद्ध रैयतों द्वारा किसी प्रकार का कोई दावा ससमय प्राप्त नहीं हुआ था।

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर


आदेश पर की ग
कार्रवाई के बारे
टिप्पणी तारीख
सहित


उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं दाखिल किये गये कागजात के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मौजा डुमरजोर खाता नं०-94, प्लॉट नं०-787/2, रकवा-0.044 एकड़ भूमि कृषि योग्य भूमि है।

सर्वे खतियान में भी भूमि का किस्म कृषि दर्ज है। उपरोक्त भूमि NH-32 के लिए अधिग्रहित भूमि है, जिसका मूल्यांकन जिला भू-अर्जन कार्यालय, बोकारो द्वारा नियमानुसार सही प्रक्रिया अपनाते हुए बिना किसी भेदभाव के किया गया है।

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, धनबाद एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो को आदेश दिया जाता है कि मौजा डुमरजोर खाता नं०-94, प्लॉट नं०-787/2, रकवा-0.044 एकड़ भूमि का पुनः मूल्यांकन करते हुए यदि मूल्यांकन वृद्धि नियमानुसार देय है तो, मूल्यांकन की राशि यथाशीघ्र आवेदक को भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। उक्त आदेश की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो/परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, धनबाद को भेजें।
लेखापित एवं संशोधित।


अपर समाहर्ता
-सह-
आर्बिट्रेटर, बोकारो।


अपर समाहर्ता
-सह-
आर्बिट्रेटर, बोकारो।